

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 4891**  
**01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**भारत टेक्स 2025**

**4891. श्रीमती कमलजीत सहरावत:**

श्री हैसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

श्री देवुसिंह चौहान:

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) भारत टेक्स 2025 का देश के वैश्विक वस्त्र केंद्र बनने के लक्ष्य में क्या योगदान है;
- (ख) वस्त्र क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअपों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी विशिष्ट पहलें शुरू की जाएंगी;
- (ग) क्या इस कार्यक्रम में भारतीय वस्त्र उद्योग में निवेश के लिए किन्हीं विशेष प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) हथकरघा एवं पारंपरिक कारीगरों/शिल्पकारों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
- (ङ) मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य में इस संबंध में तैयार की जा रही कार्य-योजनाओं का व्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**वस्त्र राज्य मंत्री**  
**(श्री पवित्र मार्वेरिटा)**

**(क) से (ग):** मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र मूल्य शृंखला की ताकत को प्रदर्शित करने, वस्त्र एवं फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति/नवाचारों पर प्रकाश डालने तथा वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सबसे पसंदीदा गंतव्य देश के रूप में स्थापित करने के लिए वैश्विक मेंगा वस्त्र कार्यक्रम अर्थात् भारत टेक्स 2025 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों को समर्थन दिया है।

यह कार्यक्रम 2.2 मिलियन वर्ग फीट में फैला था और इसमें 5,000 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिससे भारत के टेक्सटाइल इको सिस्टम का व्यापक प्रदर्शन हुआ। अनेक वैश्विक सीईओ, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के अग्रणी सहित 100 से अधिक देशों से 1,20,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुक इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

भारत टेक्स 2025 ने उद्योग जगत के अग्रणी, विनिर्माताओं, निर्यातकों और नवप्रवर्तकों के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य किया, तथा वस्त्र क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ एकत्रित किया। यह आयोजन निर्माताओं, निर्यातकों और आयातकों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें वैश्विक दर्शकों के सामने अपनी विशेषज्ञता, अत्याधुनिक नवाचारों और नवीनतम संग्रहों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इसने कच्ची सामग्री से लेकर तैयार उत्पादों तथा एसेसरीज तक की सम्पूर्ण वस्त्र मूल्य शृंखला को एक ही छत के नीचे एक साथ ला दिया।

वस्त्र विनिर्माण को बढ़ाने, अवसंरचना के आधुनिकीकरण, नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर सरकार के फोकस ने वैश्विक वस्त्र केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। भारत टेक्स 2025 ने टिकाऊ और उच्च मूल्य वाले वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा देते हुए इन प्रगतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

भारत टेक्स 2025 में वैश्विक स्तर का सम्मेलन, गोलमेज बैठकें, पैनल चर्चा और मास्टर क्लास भी शामिल थे। इसमें विशेष नवाचार और स्टार्टअप मंडपों वाली प्रदर्शनियाँ भी शामिल थीं। इसमें हैकथॉन आधारित स्टार्टअप पिच फेस्ट और इनोवेशन फेस्ट, टेक टैक और डिज़ाइन चैलेंज भी शामिल थे, जो प्रमुख निवेशकों के माध्यम से स्टार्टअप के लिए फंडिंग के अवसर प्रदान करते हैं।

**(घ) और (ङ):** वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के माध्यम से निम्नलिखित योजना को कार्यान्वित करके राजस्थान सहित देश के हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है:

- i. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
  - ii. कच्चा माल आपूर्ति योजना;
- उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करदे एवं सहायक उपकरण की खरीद, सौर प्रकाश इकाइयों, वर्कशेड के निर्माण, कौशल विकास, उत्पाद एवं डिजाइन विकास, तकनीकी एवं सामान्य अवसंरचना, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, मुद्रा योजना के अंतर्गत बुनकरों को रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - उपयुक्त शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों, उत्पादक कंपनियों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातकों, अन्य प्रतिभाशाली बुनकरों जो निर्यात योग्य विशिष्ट हथकरघा उत्पाद तैयार कर रहे हैं, आदि के साथ अंतर्राष्ट्रीय विपणन संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।
  - हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों, बड़े-बड़े आयोजनों, क्रेता-विक्रेता बैठक, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक आदि के आयोजन/भागीदारी के माध्यम से बाजार तक पहुंचना। भारत हथकरघा ब्रांड (आईएचबी), हथकरघा मार्क (एचएलएम) और अन्य उपायों के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास।
  - हथकरघा बुनकरों को यार्न उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, सभी प्रकार के यार्न के लिए माल दुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है; और सूती हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न तथा प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न के लिए 15% मूल्य समिस्डी का प्रावधान है।

इसी तरह हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय देश भर में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) नामक दो योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत, विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता, डिजिटलीकरण, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हस्तशिल्प उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन आदि के माध्यम से कारीगरों को एंड-टू-एंड समर्थन के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे राजस्थान सहित पूरे देश में पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को लाभ मिलता है।